28

न्यायालय श्रीमान् मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा
संभाग रीवा (म.प्र.)

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs.20/-

प्रकरण क्रमांक A 5222 II/15

अरूण कुमार तनय ज्ञानदत्त भुर्तिया निवासी ग्राम–जोबगढ़ तहसील देवसर जिला–सिंगरौली (म.प्र.) ....आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

मध्य प्रदेश शासन ....अनावेदक/गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर जिला–सिंगरौली (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रमांक–22/निग./2007–08 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक–27.05.2009

श्री राकेश तिवारी
द्वारा आज दिनांक 14-12-15
प्रस्तुत किया गया
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित हैः–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार तहसील देवसर जिला–सिंगरौली (म.प्र.) द्वारा ''मध्य प्रदेश कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमियों पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के तहत विधिसंगत कार्यवाही की जाकर आवेदक/निगरानीकर्ता को ग्राम–जोबगढ़ तहसील देवसर जिला–सिंगरौली (म.प्र.) स्थित शासकीय भूमि/आवेदित भूमि खसरा नम्बर– 455/1 रकबा 1.00 हे. का भूमिस्वामित्व अपने समक्ष के प्रकरण क्र.14/ए–19(4)/2003–04 में न्यायोचित आदेश दिनांक–11.05.2004 पारित कर प्रदान किया गया।

15

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निगरानी/5222/दो/2015 जिला-सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/5/18	आवेदक के अधिवक्ता श्री राकेश तिवारी उपस्थित होकर उनके द्‌वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 22/निगरानी/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 27.05.2009 के विरूद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है 2- आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली द्‌वारा प्रकरण क्रमांक 22/निगरानी/2007-08 में आलोच्य आदेश दिनांक 27/05/2009 आवेदिका को बिना सुने पारित किया गया था जिसके कारण उसको आदेश की जानकारी नहीं हुई। आवेदिका अपने नियुक्त अधिवक्ता की पैरवी पर विश्वास कर आवेदिका अधिवक्ता के भरोसे में नहीं आवेदिका को उक्त आलोच्य काफी दिन बाद दिनांक 29/09/15 को आदेश के बारे में बताया। आवेदिका अधिवक्ता द्‌वारा धारा 5 के आवेदन में जो तथ्य दर्शाये गए हैं वह समाधान कारक प्रतीत नहीं होते हैं। अतः आवेदक अधिवक्ता द्‌वारा जो निगरानी प्रस्तुत	

की गई है लगभग 5 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत की गई है जबकि परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 में स्पष्ट उल्लेख है कि दिन-प्रतिदिन के विलंब का कारण दर्शाया जाना आवश्यक है जबकि आवेदिका द्वारा अपने धारा 5 के आवेदन में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं बताया है जिससे धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जा सके।अत: आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राह्य किये जाने योग्य है।

3- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 22/निगरानी/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 27.05.2009 के उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेख के साथ भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य